

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:------नि० /रो०/ऋण /

पटना, दिनांक: -----

स्वीकृतिदेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्मोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2019-20 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-09.09.2020 से 13.09.2020 को चयनित लघु-ग्रामीण ऋण सं० 1, वृहत- ग्रामीण ऋण सं० -2, के ऋण आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा गया जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच समर्पित किये गये प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है

Sl. No	चयन सूची क्रम	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing & Emboss Charge	Net Payable Amount
1.	111	MD SHAHID ANWAR, S/o- MD MONAZIR AHAMAD, Vill.- NIMCHAK, Block+PS+PO-BELAGANJ, Distt.-GAYA-804403, Mob no.-9708003171	A/c No.:- 7535000100021224 PUNB0753500	BIKE PARTS	200000	1000 +2030 =3030	1,96,970
2.	110	MD JAWED HUSSAIN, S/o- MONAZEER AHMAD, Vill.- NIMCHAK, Block+PS+PO-BELAGANJ, Distt.-GAYA-804403, Mob no.-9801897505	A/c No.:- 7535000100016745 PUNB0753500	FURNITURE SHOP	300000	1500 +2030 =3530	2,96,470
TOTAL					5,00,000	6,560	4,93,440

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ज्ञापक:-553---

प्रतिलिपि:-सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को

सूचनार्थ एव आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस०ई-मेल भेजने हेतु सूची प्रेषित

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:-15/2/22

[Signature]
प्रबंध निदेशक